रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 609] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 1998/भाद्र 24, 1920

No. 609] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 1998/BHADRA 24, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 21(आर ई-98)/1997—2002

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1998

का. आ. 819(अ) :— निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 (13-4-98 तक किये गये संशोधन शामिल) के पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 : (13-4-98 तक किये गये संशोधन शामिल) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

शून्य शुल्क से संबंधित पैराग्राफ 6.2 के तहत दी गयी तालिका में रेशम उत्पादन शब्द के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा यदि लागत बीमा भाड़ा मूल्य 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक है :

1. बायो-टैक्नॉलॉजी सैक्टर और इंजीनियरिंग सैक्टरों के निम्नलिखित सब-सैक्टर्स :

   मशीन टूल्स, पार्ट्स और उनके एक्सेसरीज; ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स और एक्सेसरीज; बाइसिकिल पार्ट्स और एक्सेसरीज, हैन्ड टूल्स; कटिंग और स्माल टूल्स; कास्टिंग्स और सभी प्रकार के फोर्जिंन्स (फैरस और नॉन-फैरस) पम्पस, इलैक्ट्रिक मोटर्स और उनके पार्ट्स सभी प्रकार के फास्टनर्स (फैरस और नॉन-फैरस); ब्राइट बार्स और शाफ्टिंग; साइंटिफिक और सर्जीकल इन्सट्रूमैन्ट्स;

2. पैराग्राफ 9.13(ख) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :

   ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, अरेलू टैरिफ क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं से दावा त्यागने वाले उपयुक्त प्रपत्र के प्रस्तुत करने पर, नीति के पैराग्राफ 10.3(ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट लाभों को प्राप्त करने की पात्र होंगी। इस उद्देश्य हेतु वे विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्धारित ब्रांड दरें प्राप्त करेंगी। तथापि ऐसी आपूर्तियां उपर्युक्त पैराग्राफ (क) में विनिर्दिष्ट लाभों के लिए पात्र होंगी ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

[फा. सं. पी आर यू/ए एस/98-99/विशेष पैकेज]

एम.एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 21 (RE-98) 1997—2002

New Delhi, the 15th September, 1998

S.O. 819(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.3 of the Export and Import Policy, 1997—2002 (incorporating amendment made upto 13-4-98), the Central Government hereby makes following amendments in the Export and Import Policy, 1997—2002 : (incorporating amendment made upto 13-4-98).

The following may be added after the word sericulture in the table given under paragraph 6.2 relating to Zero Duty in case CIF value is Rs. 1 crore or more:

1. Bio-technology Sector and the following sub-sectors of engineering sectors :

   Machine tools, parts and accessories thereof; automotive components and accessories; bicycle parts and accessories; hand tools, cutting and small tools; castings and forgings (ferrous and non-ferrous) all sorts; pumps, electric motors and parts thereof, fastners, all types (ferrous and non-ferrous); bright bars and shafting; scientific and surgical instruments.

2. Paragraph 9.13(b) shall be amended to read as under :

   EOU/EPZ/EHTP/STP units shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA suppliers, be eligible for obtaining the benefits specified in paragraph 10.3(b), (c) and (d) of the Policy. For this purpose, they shall get Brand Rates fixed by the DGFT. Such supplies would, however, be eligible for benefits specified in paragraph (a) above.

This issues in public interest.

[F. No. PRU/AS/98-99/Special Package]

N.L. LAKHANPAL, Director General
of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.